

## प्रेस नोट दिनांक 26.09.2020

1. दिनांक 25.09.20 को वादी श्री राम मूर्ति पुत्र इन्द्रपाल नि० मगलसी थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 43 टी 8587 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लारवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की मो०सा० में टक्कर मार देना जिससे पत्नी का कूल्हा टूट जाना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 699/20 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 25.09.20 को वादी का० सुनील पटेल थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम सुरेश पुत्र उमाशंकर नि० सरियावां थाना पूराकलन्दर अयोध्या अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 557/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 25.09.20 को वादी श्री रामसुन्दर पुत्र बच्चू लाल नि० जोगापुर इल्तफातगंज थाना टाण्डा अम्बेडकरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 32 एच के 2778 कार का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की विक्री में टक्कर मार देना जिससे हाथ में चोटे आना तथा विक्री क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 428/20 धारा 279, 337, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 25.09.20 को वादी श्री आशीष कुमार पुत्र माधव लाल नि० आनापुर सरैया थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि महेन्द्र कुमार पुत्र रामाधीन नि० सुफल का पुरवा थाना गोसाईगंज अयोध्या आदि 03 नफर वादी को मारना पीटना तथा गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 429/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 25.09.20 को वादी उ०नि० श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि केशवराम पुत्र राम बक्श नि० रूकूपुर मजरे सारंगपुर थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 435/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 25.09.20 को वादी श्री विकास कुमार आर्या अवर अभियंता 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र रूदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम फेर पुत्र स्व० महेश चन्द्र नि० कोपाकाप थाना को०रूदौली अयोध्या आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा विद्युत बिल जमा न करने के कारण विच्छेदन के उपरान्त पुनः कनेक्शन जोड़कर विद्युत का उपभोग करना। जिसके संबंध में थाना को०रूदौली में मु०अ०सं० 377/20 व 378/20 धारा 138(1)बी विद्युत अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 25.09.20 को वादी श्री रतन कुमार शर्मा थानाध्यक्ष पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1.शुभम वर्मा पुत्र चेताराम नि० भटपुरवा थाना टिकैत नगर बाराबंकी गिर० 2.उत्तम रावत पुत्र कृष्ण कुमार रावत नि० प्यारनपुर थाना जैदपुर बाराबंकी गिर० 3.देवेन्द्र सिंह पुत्र शिव बहादुर सिंह 4.सोनू रावत पुत्र चन्दी रावत नि०गण अजई मऊ थाना टिकैत नगर बाराबंकी अभि०गण द्वारा रूपये लेकर दिनेश द्विवेदी की हत्या की सुपारी लेना, पुलिस चेकिंग के दौरान अभि० शुभम व उत्तम रावत के कब्जे से क्रमशः 01-01 अदद तमंचा व 03-03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 191/20 192/20 193/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 3/25 आर्म्स एक्ट 115, 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।